राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

ई–मेल : seaccg@gmail.com

विषयः– राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 15/06/2021 को संपन्न 375वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

----00----

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 375वीं बैठक दिनांक 15/06/2021 को श्री धीरेन्द्र शर्मा, अध्यक्ष, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति की अध्यक्षता में विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:–

1. डॉ. मोहन लाल अग्रवाल, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
2. श्री अरविन्द कुमार गौरहा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
3. श्री नीलेश्वर प्रसाद साहू, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
4. डॉ. एम.डब्ल्यु.वाय. खान, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
5. डॉ. विकास कुमार जैन, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
6. डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
7. श्री कलदियुस तिर्की, सदस्य सचिव, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गया:–

एजेन्डा आयटम क्रमांक–1: 370वीं, 371वीं, 372वीं, 373वीं एवं 374वीं बैठक क्रमशः दिनांक 27/05/2021, 28/05/2021, 29/05/2021, 31/05/2021 एवं 01/06/2021 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ 370वीं, 371वीं, 372वीं, 373वीं एवं 374वीं बैठक क्रमशः दिनांक 27/05/2021, 28/05/2021, 29/05/2021, 31/05/2021 एवं 01/06/2021 को संपन्न हुई थी। समिति द्वारा सर्वसम्मति से उक्त बैठकों के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–2: एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ से प्रेषित किये गये आवेदनों पर विचार कर निर्णय लिया जाना।

1. **मेसर्स राजुर लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्रीमती उषा के राजपुरिया), ग्राम–राजुर, तहसील–तोकापाल, जिला–बस्तर (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 687)**

आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 42362/ 2018, दिनांक 06/09/2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैंक गारंटी की वैधता के संबंध में दिनांक 21/01/2021 को पत्र प्रस्तुत किया गया है।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/05/2020 द्वारा ग्राम–राजुर, तहसील–तोकापाल, जिला–बस्तर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 161, कुल लीज क्षेत्र 1.53 हेक्टेयर में स्थित लाईम स्टोन खदान आवेदित उत्खनन (मुख्य खनिज) क्षमता – 8,800 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 07/06/2021 को संपन्न 110वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि:–

1. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 29/02/2020 द्वारा बैंक गारंटी प्रस्तुत किये जाने की सूचना दी गई थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी की वैधता दिनांक 08/01/2021 तक थी।
2. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति, Environment Compensation के रूप में निर्धारित राशि 8,10,000/– रूपये का उपयोग शासकीय स्कूल/महाविद्यालय/संस्थान में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था, सोलर पावर की व्यवस्था, पीने योग्य पानी की व्यवस्था एवं वृक्षारोपण किए जाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना को 06 माह के भीतर पूर्ण किये जाने की शर्त पर दी गई थी। उक्त समयावधि में अपरिहार्य कारणों से कार्य पूर्ति नहीं होने के कारण, परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैंक गारंटी की अवधि में वृद्धि दिनांक 07/01/2022 तक करते हुए उपरोक्त कार्य को करने के लिए अतिरिक्त समय प्रदाय किये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति** से तथ्यों एवं दस्तावेजों का पुनः परीक्षण कर, उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 375वीं बैठक दिनांक 15/06/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण के ज्ञापन क्रमांक 183/ई.सी./बस्तर/687, नवा रायपुर दिनांक 13/05/2020 द्वारा इस प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी। जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में Environment Compensation के रूप में निर्धारित राशि 8,10,000/– रूपये का उपयोग शासकीय स्कूल/महाविद्यालय/संस्थान में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था,

सोलर पावर की व्यवस्था, पीने योग्य पानी की व्यवस्था एवं वृक्षारोपण किए जाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना को 06 माह के भीतर पूर्ण किये जाने की शर्त निर्धारित थी। उक्त हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा Environment Compensation के रूप में निर्धारित राशि 8,10,000/– रूपये का बैंक गारंटी प्रस्तुत की गई थी, जिसकी वैधता दिनांक 07/01/2021 तक थी। उक्त समयावधि में अपरिहार्य कारणों से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित कार्यों को नही किये जाने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैंक गारंटी वैधता वृद्धि (Extended Bank Gurantee) प्रस्तुत की गई है, जिसकी वैधता दिनांक 07/01/2022 तक है।

2. समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा निर्धारित समयावधि के 6 माह उपरांत भी कार्य पूर्ण नही किया गया है। आगामी 3 माह वर्षाकाल के है। अतः दिसम्बर, 2021 तक कार्य पूर्ण किये जाने की संभावना नहीं है। अतः बैंक गारंटी की वैधता दिनांक 31/12/2022 तक करना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार निर्देशित किया जाए:–

1. Environment Compensation के कार्य राशि 8,10,000/– रूपये जनवरी, 2022 तक पूर्ण किये जाए।
2. निर्धारित राशि 8,10,000/– रूपये की बैंक गारंटी प्रस्तुत की जाए, जिसकी वैधता वैधता दिनांक 31/12/2022 तक हो।
3. समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–3: **गौण/मुख्य खनिजों एवं औद्योगिक परियोजनाओं संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर हेतु निर्णय लिया जाना।**

1. **मेसर्स श्री नारायण यादव (सहसपुर लोहारा लाईम स्टोन माईन), ग्राम–सहसपुर लोहारा, तहसील–सहसपुर लोहारा, जिला–कबीरधाम (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1546)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /196106/2021, दिनांक 05/02/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रकरण खदान की उत्खनन क्षमता के विस्तारीकरण का है। पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान की उत्पादन क्षमता 3,911 टन प्रतिवर्ष है। खदान ग्राम–सहसपुर लोहारा, तहसील–सहसपुर लोहारा, जिला–कबीरधाम स्थित खसरा क्रमांक 937, कुल क्षेत्रफल–1.31 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–8,407 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की **360वीं बैठक** दिनांक **01/03/2021**:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था**:–

1. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा (वित्तीय वर्ष) की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र एवं ई–मेल क्रमशः दिनांक 09/04/2021 एवं 27/04/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 366वीं बैठक दिनांक 03/05/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 11/06/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 375वीं बैठक दिनांक 15/06/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री नारायण यादव, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 937, कुल क्षेत्रफल–1.313 हेक्टेयर, क्षमता–3,911 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–कबीरधाम द्वारा दिनांक 19/12/2016 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई।
   ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक 623 / ख.लि. / खनिज / उ.प. / 21 कबीरधाम, दिनांक 11 / 06 / 2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (टन)
2015–16	3,293
2016–17	2,009
2017–18	1,870
2018–19	3,737.7
2019–20	3,754

2. **नगर पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में नगर पंचायत सहसपुर लोहारा का दिनांक 05 / 11 / 2014 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्रशा.), जिला–बिलासपुर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 2274 / 2 / खनि / चू.प. / उ.यो. / 2021 बिलासपुर, दिनांक 28 / 01 / 2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक / 98 / ख.लि. / खनिज / उत्खनिपट्टा / 2021 कबीरधाम, दिनांक 15 / 01 / 2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 2.529 हेक्टेयर होना बताया गया है। जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र / संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक / 97 / ख.लि. / खनिज / उ.प. / 20–21 कबीरधाम, दिनांक 15 / 01 / 2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **लीज का विवरण** – लीज डीड श्री नारायण यादव के नाम पर है। लीज डीड 05 वर्षों अर्थात् दिनांक 03 / 05 / 2015 से 02 / 05 / 2021 तक की अवधि हेतु वैध थी। लीज के विस्तारीकरण हेतु खनिज साधन विभाग में आवेदन किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि श्रीमती सत्यवती के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कवर्धा वनमण्डल, जिला–कवर्धा के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./798 कवर्धा, दिनांक 19/01/2016 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–नवापारा 0.35 कि.मी., स्कूल ग्राम–नवापारा 0.17 कि.मी. एवं अस्पताल सहसपुर लोहारा 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 24 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 0.5 कि.मी. दूर है। कर्रा नदी 4 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 3,19,673 टन, माईनेबल रिजर्व 1,69,553 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 1,61,075 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,195 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 13 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 1,700 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाता है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 17 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर की स्थापना प्रस्तावित है, जिसका क्षेत्रफल 0.13 हेक्टेयर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन ROM (टन)
प्रथम	6,375
द्वितीय	7,995
तृतीय	6,937
चतुर्थ	7,995
पंचम	8,407

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 10 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 400 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. प्रकरण क्षमता विस्तार का है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन मंगाया जाना आवश्यक है।

17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु स्थल निरीक्षण उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
55	2%	1.55	Following activities at Government Primary School, **Village-Nawapara**	
			Rain Water Harvesting System	0.65
			Potable Drinking Water	0.25
			Running Water Facility for Toilets	0.10
			Plantation in School/ Community Health Center Premises	0.10
			Total	**1.10**

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज डीड की प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
5. प्रस्तुत 500 मीटर के प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के

भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

6. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर को पत्र प्रेषित किया जाए।

2. मेसर्स श्री बलवंत राय सलूजा (ताकम सेण्ड माईन), ग्राम–ताकम, तहसील–बेरला, जिला–बेमेतरा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1629)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 207236 / 2021, दिनांक 31 / 03 / 2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–ताकम, तहसील–बेरला, जिला–बेमेतरा स्थित खसरा क्रमांक 01, कुल क्षेत्रफल–5 हेक्टेयर में है। उत्खनन शिवनाथ नदी से किया जाता है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 84,778 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21 / 05 / 2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 371वीं बैठक दिनांक 28 / 05 / 2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 28 / 05 / 2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में प्रेषित पत्र दिनांक 21 / 05 / 2021 के परिपेक्ष्य की वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 11 / 06 / 2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 375वीं बैठक दिनांक 15 / 06 / 2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री वैभव सलूजा, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   i. पूर्व में सरपंच, ग्राम पंचायत ताकम के नाम से रेत खदान खसरा क्रमांक 01, क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर, क्षमता – 50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 11/09/2019 को जारी की गई। यह स्वीकृति 2 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।
   ii. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/10/2019 द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत ताकम को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को श्री बलवंत राय सलूजा के नाम पर हस्तांतरण किया गया है।
   iii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। गाद अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई।
   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 24/खनि लि/खनिज/2021 बेमेतरा, दिनांक 21/05/2021 के अनुसार विगत वर्ष किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2018–19	निरंक
2019–20	निरंक
2020–21	2,000

   v. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत ताकम का दिनांक 23/09/2016 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
4. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक संचालक (ख.प्रशा.), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक/2864/खनि/रेत उ.यो./2021 बिलासपुर, दिनांक 18/03/2021 द्वारा अनुमोदित है।
5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 1029/खनि.लिपि/2021 बेमेतरा, दिनांक 03/03/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 1029/खनि. लिपि/2021 बेमेतरा, दिनांक 03/03/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, मरघट, पुल, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **लीज का विवरण** – लीज श्री बलवंत राय सलूजा के नाम पर है। लीज डीड 2 वर्षों अर्थात् दिनांक 11/12/2019 से 10/12/2021 तक की अवधि हेतु वैध है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (Distrct Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–ताकम 0.5 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–येरला 5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 13 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 7 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 204 मीटर, न्यूनतम 145 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 763 मीटर, न्यूनतम 748 मीटर एवं चौड़ाई – अधिकतम 61 मीटर, न्यूनतम 52 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी 26 मीटर, न्यूनतम 6 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।

12. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर से अधिक तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 84,778 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान मे उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 2.62 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारो तरफ मे 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 08/02/2021 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
59.5	2%	1.20	Following activities at Nearby Government Primary School, **Village- Takam**	
			Rain Water Harvesting System	0.50
			Potable Drinking Water Facility	0.20
			Running Water Facility for Toilets	0.30
			Plantation	0.20
			Total	**1.20**

15. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 204 मीटर, न्यूनतम 145 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 26 मीटर, न्यूनतम 6 मीटर है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माईनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत छोड़कर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 7,611 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के अवशेष 4.238 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

16. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। शिवनाथ नदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–ताकम) का रकबा 5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** – प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 3,500 नग पौधे – 1,750 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 1,750 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग पर 700 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही

आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   ii. इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iii. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2022, 2023, 2024 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से श्री बलवंत राय सलूजा, ताकम सेण्ड माईन, खसरा क्रमांक 01, ग्राम–ताकम, तहसील–बेरला, जिला–बेमेतरा, कुल लीज क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर में से गैर माईनिंग क्षेत्र 7,611 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 4.238 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 0.82 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 36,600 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु **परिशिष्ट–01** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

6. गैर माईनिंग क्षेत्र एवं अवशेष माईनिंग क्षेत्र का मौके पर खनिज विभाग से स्पष्ट सीमांकन कराने के उपरांत ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स श्रीमती बेरली पोन्नाचन (पेण्ड्रीतराई डोलोमाईट माईन), ग्राम–पेण्ड्रीतराई, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1593)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 202957/2021, दिनांक 11/03/2021। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 23/03/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 02/04/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–पेण्ड्रीतराई, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 21/6(पार्ट), 21/7, 21/8 एवं 21/9, कुल क्षेत्रफल–1.94 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता– 36,581.25 टन प्रतिवर्ष है।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/05/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 371वीं बैठक दिनांक 28/05/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 28/05/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में प्रेषित पत्र दिनांक 21/05/2021 के परिपेक्ष्य की वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 11/06/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 375वीं बैठक दिनांक 15/06/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई–मेल पत्र दिनांक 15/06/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स खरसूरा ब्रिक अर्थक्ले क्वारी माईन एण्ड फिक्स चिमनी प्लांट (प्रो.– श्री रविन्द्र कुमार जायसवाल), ग्राम–खरसूरा, तहसील व जिला–सूरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1648)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/211810/2021, दिनांक 11/05/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–खरसूरा, तहसील व जिला–सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 1558, 1564, 1559, 1572 एवं 1565, कुल क्षेत्रफल–2.18 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 3,030.04 घनमीटर (ईंट उत्पादन इकाई 15,45,976 नग) प्रतिवर्ष है।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/05/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 374वीं बैठक दिनांक 01/06/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई–मेल दिनांक 01/06/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में प्रेषित पत्र दिनांक 21/05/2021 के परिपेक्ष्य की वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 11/06/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 375वीं बैठक दिनांक 15/06/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई–मेल पत्र दिनांक 15/06/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स खरसूरा ब्रिक अर्थक्ले क्वारी माईन एण्ड फिक्स चिमनी प्लांट (प्रो.– श्री नरेन्द्र जायसवाल), ग्राम–खरसूरा, तहसील व जिला–सूरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1664)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 212432/2021, दिनांक 17/05/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–खरसूरा, तहसील व जिला–सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 1053 एवं 1528, कुल क्षेत्रफल–2.0 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 2,530.78 घनमीटर (ईंट उत्पादन इकाई 12,91,249 नग) प्रतिवर्ष है।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/05/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 374वीं बैठक दिनांक 01/06/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई–मेल दिनांक 01/06/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में प्रेषित पत्र दिनांक 21/05/2021 के परिपेक्ष्य की वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 11/06/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 375वीं बैठक दिनांक 15/06/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री नरेन्द्र जायसवाल, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   i. पूर्व में मिट्टी खदान खसरा क्रमांक 1053 एवं 1528, कुल क्षेत्रफल – 2 हेक्टेयर, क्षमता – 2,698.18 घनमीटर (ईंट उत्पादन 13,76,657 नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–सूरजपुर द्वारा दिनांक 06/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति 3 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई।
   ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
   iii. निर्धारित शर्तानुसार 305 नग वृक्षारोपण किया गया है।
   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 624/खनिज/2021 सूरजपुर, दिनांक 18/02/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	मिट्टी उत्पादन (घनमीटर)	ईंट उत्पादन (नग)
2017	523	4,10,000
2018	276	2,16,500
2019	554	4,35,000
2020	निरंक	निरंक

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत खरसूरा का दिनांक 21/08/2015 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–कोरिया के पृ. ज्ञापन क्रमांक 945–7/खनिज/खलि.2/2016 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 11/08/2016 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 625 / खनिज / 2021 सूरजपुर, दिनांक 18 / 02 / 2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 2.18 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र / संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 625 / खनिज / 2021 सूरजपुर, दिनांक 18 / 02 / 2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **लीज का विवरण** – लीज श्री नरेन्द्र जायसवाल के नाम पर है। लीज डीड 03 वर्षों अर्थात् दिनांक 30 / 09 / 2013 से 29 / 09 / 2016 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड में 27 वर्षों की, दिनांक 30 / 09 / 2016 से 29 / 09 / 2043 तक की अवधि वृद्धि की गई है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 1053 श्री राजेश कुमार जायसवाल एवं खसरा क्रमांक 1528 आवेदक के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक / मा.चि. / 2000 / 563 अम्बिकापुर, दिनांक 08 / 03 / 2002 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–खरसूरा 0.4 कि.मी., स्कूल ग्राम–खरसूरा 1.1 कि.मी. एवं अस्पताल सूरजपुर 9 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6.6 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 16.6 कि.मी. दूर है। मौसमी नाला 0.29 कि.मी., तालाब 0.75 कि.मी. एवं रेहर नदी 3.6 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 35,659 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 28,305 घनमीटर एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 25,475 घनमीटर है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 34,156 घनमीटर एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 24,122 घनमीटर शेष है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 0.074 हेक्टेयर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 0.2 हेक्टेयर में क्षेत्र ईंट निर्माण हेतु भट्ठा (जिग–जेग किल्न) स्थापित है, जिसकी फिक्स चिमनी की ऊंचाई 33 मीटर है।

ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 25 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। एक लाख ईंट निर्माण हेतु 12 टन कोयला की आवश्यकता होती है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार प्रस्तावित वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	उत्पादन (नग)
2021	2,530	12,91,249
2022	2,530	12,91,249
2023	2,530	12,91,249
2024	2,531	12,91,249
2025	2,531	12,91,249
2026	2,531	12,91,249

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6.42 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 371 नग वृक्षारोपण किया जाएगा, जिसमें से 305 नग वृक्षारोपण किया गया है। शेष 166 नग पौधों का रोपण किया जाएगा।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु स्थल निरीक्षण उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
29	2%	0.58	Following activities at Government Primary School khadiyapara, **Village-Kharsura**	
			Rain Water Harvesting System	0.56
			Plantation	0.10
			Total	**0.66**

16. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ऑरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 625 / खनिज / 2021 सूरजपुर, दिनांक 18 / 02 / 2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 2.18 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–खरसूरा) का रकबा 2 हेक्टेयर है। इसप्रकार आवेदित खदान (ग्राम–खरसूरा) को मिलाकर कुल रकबा 4.18 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत / संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स खरसूरा ब्रिक अर्थक्ले क्वारी माईन एण्ड फिक्स चिमनी प्लांट (प्रो.– श्री नरेन्द्र जायसवाल) की ग्राम–खरसूरा, तहसील व जिला–सूरजपुर के खसरा क्रमांक 1053 एवं 1528 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई, कुल क्षेत्रफल–2 हेक्टेयर, क्षमता – 2,530 घनमीटर (ईंट उत्पादन इकाई 12,91,000 नग) प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–02** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स अमनदोन आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री सुनील गोयल), ग्राम–अमनदोन, तहसील–प्रतापपुर, जिला–सूरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1588)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /202399/2021, दिनांक 08/03/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–अमनदोन, तहसील–प्रतापपुर, जिला–सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 19, कुल क्षेत्रफल–1.26 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–11,771.1 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 383वीं बैठक दिनांक 24/03/2021:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन / पठनीय प्रति प्रस्तुत किया जाए।
2. भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये।
3. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
4. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा (वित्तीय वर्ष) की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
5. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र एवं ई–मेल क्रमशः दिनांक 09/04/2021 एवं 27/04/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 368वीं बैठक दिनांक 05/05/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई–मेल दिनांक 05/05/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 21/05/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 374वीं बैठक दिनांक 01/06/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई–मेल दिनांक 01/06/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 11/06/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 375वीं बैठक दिनांक 15/06/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुनील गोयल, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**
   i. पूर्व में साधारण पत्थर खदान खसरा क्रमांक 19, कुल क्षेत्रफल – 1.26 हेक्टेयर, क्षमता – 4,527.33 घनमीटर (11,771.1 टन) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–सूरजपुर द्वारा दिनांक 20/02/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति 3 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई।
   ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
   iii. निर्धारित शर्तानुसार 200 नग वृक्षारोपण किया गया है।
   iv. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा (वित्तीय वर्ष) की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत नहीं किया गया है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत अमनदोन का दिनांक 19/06/2013 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्वायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 983/खनिज/खलि.2/2016 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 12/08/2016 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 254/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 03/70/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 254/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 03/70/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है, जिसमें लीज श्रीमती मीना गोयल के नाम पर थी। लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 12/03/2014 से 11/03/2034 तक की अवधि हेतु वैध है। लीज डीड का हस्तांतरण दिनांक 07/01/2021 को श्री सुनील गोयल के नाम पर किया गया।
7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, कोरिया वनमण्डल, जिला–कोरिया के पृ. ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./496 अम्बिकापुर, दिनांक 31/01/2011 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–मायापुर 0.6 कि.मी., स्कूल प्रतापपुर 1.7 कि.मी. एवं अस्पताल प्रतापपुर 1.9 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 26 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1.7 कि.मी. दूर है। बरसाती नाला 0.86 कि.मी., तालाब 0.76 कि.मी. एवं घरहारी नदी 0.72 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 2,82,764 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 1,12,314 टन है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 2,70,841 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 1,01,583 टन शेष है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,347 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 12 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी अवस्थित नहीं है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 13 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है तथा क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
2021	11,518
2022	11,232
2023	11,509
2024	11,225
2025	11,231
2026	11,771

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5.68 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 670 नग वृक्षारोपण किया जाएगा, जिसमें से 200 नग वृक्षारोपण किया गया है। शेष 470 नग पौधों का रोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	**Percentage of Capital Investment to be Spent**	**Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)**	**Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)**	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
22.66	2%	0.46	Following activities at Government Primary School, **Village – Amandon**	
			Rain Water Harvesting System	0.55
			Plantation	0.05
			Total	**0.60**

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा (वित्तीय वर्ष) की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
2. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र एवं अभ्यारण्य की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन / पठनीय प्रति प्रस्तुत किया जाए।
3. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मैसर्स नयनपुर ब्रिक्स अर्थक्ले क्वारी एण्ड ब्रिक किल्न (प्रो.– श्री जगमोहन प्रसाद अग्रवाल), ग्राम–नयनपुर, तहसील व जिला–सूरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1592)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 202918/2021, दिनांक 10/03/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–नयनपुर, तहसील व जिला–सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 502 एवं 503, कुल क्षेत्रफल – 1.98 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 2,725.6 घनमीटर (ईंट उत्पादन इकाई 15,33,150 नग) प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 363वीं बैठक दिनांक 24/03/2021:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. पूर्व मे आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा (वित्तीय वर्ष) की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र एवं ई–मेल क्रमशः दिनांक 09/04/2021 एवं 27/04/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 368वीं बैठक दिनांक 05/05/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई–मेल दिनांक 05/05/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 21/05/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 374वीं बैठक दिनांक 01/06/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई–मेल दिनांक 01/06/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 11/06/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 375वीं बैठक दिनांक 15/06/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई–मेल पत्र दिनांक 15/06/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा नोट किया गया कि पूर्व में समिति की दिनांक 05/05/2021 एवं 01/06/2021 के बैठकों में प्रस्तुतीकरण हेतु अवसर प्रदान किया गया था। परंतु परियोजना प्रस्तावक की ओर से कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हो रहे है। अतः परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जाए।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. **मेसर्स श्री फनेन्द्र कुमार जैन (सालिक–झिटिया फ्लेग स्टोन माईन), ग्राम–सालिक झिटिया, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1543)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /182971/2020, दिनांक 29/01/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–सालिक झिटिया, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 66/2, कुल क्षेत्रफल–0.688 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–8,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 357वीं बैठक दिनांक 11/02/2021:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. प्रस्तुत 500 मीटर के प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात

निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

3. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/03/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 363वीं बैठक दिनांक 24/03/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री फनेन्द्र कुमार जैन, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। उनके द्वारा बताया गया कि प्रस्तुतीकरण हेतु वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र एवं ई-मेल क्रमशः दिनांक 09/04/2021 एवं 27/04/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 368वीं बैठक दिनांक 05/05/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 05/05/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि प्रस्तुतीकरण हेतु वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 21/05/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 374वीं बैठक दिनांक 01/06/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई-मेल दिनांक 01/06/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई-मेल दिनांक 11/06/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(इ) समिति की 375वीं बैठक दिनांक 15/06/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई-मेल पत्र दिनांक 14/06/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा नोट किया गया कि पूर्व में समिति की दिनांक 24/03/2021, 05/05/2021 एवं 01/06/2021 के बैठकों में प्रस्तुतीकरण हेतु अवसर प्रदान किया गया था। परंतु परियोजना प्रस्तावक की ओर से कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हो रहे है। अतः परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जाए।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

9. **मेसर्स सदगुरू इस्पात प्राईवेट लिमिटेड, प्लॉट नं. 154, सेक्टर-एफ, ओ.पी. जिंदल इण्डस्ट्रीयल पार्क पूंजीपथरा, ग्राम-पूंजीपथरा, पोस्ट-तुमाडबरा, तहसील-घरघोड़ा, जिला-रायगढ़ (728)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /आईएनडी/63277/2021, दिनांक 11/05/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए टी.ओ.आर. बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् सेक्टर-एफ, ओ.पी. जिंदल इण्डस्ट्रीयल पार्क, ग्राम-पूंजीपथरा, तहसील-घरघोड़ा, जिला-रायगढ़ स्थित प्लाट क्रमांक 154, कुल क्षेत्रफल – 2 हेक्टेयर में इण्डक्शन फर्नेस (एम.एस. इंगाट/बिलेट) क्षमता – 57,321 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर इण्डक्शन फर्नेस विथ सीसीएम (Through implementation of additional 2x10MT and upgradation of existing 2x10 MT to 2x12 MT (final 4x12 MT) Induction Furnace) क्षमता – 1,48,000 टन प्रतिवर्ष करने के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु टी.ओ.आर. बाबत् आवेदन किया गया है। वर्तमान में स्थापित इकाई की विनियोग रुपये 7.85 करोड़ है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु परियोजना की विनियोग रुपये 8.06 करोड़ होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई-मेल दिनांक 11/06/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 375वीं बैठक दिनांक 15/06/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रितेश अग्रवाल, डॉयरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार मेसर्स एनॉकान लेबोरट्रीज प्राईवेट लिमिटेड, नागपुर की ओर से श्री श्रीकांत बी. व्यवहारे विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. जल एवं वायु सम्मति –

- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़ से इण्डक्शन फर्नेस (एम.एस. इंगाट/बिलेट) क्षमता – 57,321 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति दिनांक 12/11/2020 को जारी की गई है।

- वर्तमान में स्थापित इकाई हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है।

2. पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का विवरण –

- पूर्व में राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक क्रमांक 542, दिनांक 22/07/2019 द्वारा इण्डक्शन फर्नेस (6 टन गुणा 1 नग एवं 8 टन गुणा 1 नग) (एम.एस. बिलेट) क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष से इण्डक्शन फर्नेस विथ सीसीएम (10 टन गुणा 2 नग) (एम.एस. इंगाट/बिलेट) क्षमता – 57,321 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी।

- क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

3. निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –

- निकटतम आबादी ग्राम–पूंजीपथरा 0.9 कि.मी. एवं शहर रायगढ़ 19 कि.मी. की दूरी पर है। निकटतम रेलवे स्टेशन भूपदेवपुर 12.64 कि.मी. की दूरी पर है। वीर सुरेन्द्र साई एयरपोर्ट (झारसुगढ़ा एयरपोर्ट) 75 कि.मी. की दूरी पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.4 कि.मी. दूर है। देवनमुण्डा नाला 1.1 कि.मी. एवं केलो नदी 7.22 कि.मी. की दूरी पर है।

- छर्दना आरक्षित वन 6.5 कि.मी., बारकछार आरक्षित वन 8.1 कि.मी., खरिडगरी आरक्षित वन 8.3 कि.मी., तराईमल आरक्षित वन 0.8 कि.मी., रेबो आरक्षित वन 6.2 कि.मी. एवं समारूमा आरक्षित वन 2.8 कि.मी. दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

4. रॉ–मटेरियल –

Raw Material	Existing Quantity (TPA)	After Expansion Quantity (TPA)	Mode
Sponge Iron	55,256	1,47,349	By Road (through covered trucks)
CI/Pig Iron/ Heavy Scrap	12,185	32,493	
Ferro Alloys & Aluminium	622	1,683	
Ramming Mass and Refractory lining	89	237	
Total	**68,152**	**1,81,762**	

5. लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –

S.No.	Land use	Area (in ha)	Area (%)
1	Built Up Area	5.364	26.82
2	Paved Area	798	3.99
3	Open Area	6,995	34.98
4	Greenbelt	6,843	34.22
Total		**20,000**	**100**

6. स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –

Product	Existing		Proposed Capacity Addition	Ultimate Capacity After Expansion	
	Facility	Capacity (TPA)	Capacity (TPA)	Facility	Capacity (TPA)
M.S. Ingots/ Billet	10 MT X 2 Nos. Induction Furnace along with CCM	57,321	90,679	*12 MT X 4 Nos. Induction Furnace along with CCM	1,48,000

Note: *Upgradation of existing Induction Furnace 10 MT X 2 Nos. to 12 MT X 2 Nos. and proposed new Induction Furnace 12 MT X 2 Nos.

7. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु फ्यूम एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है। क्षमता विस्तार के तहत् इण्डक्शन फर्नेस में मुवेबल संक्शन हुड (Movable Suction Hood) के साथ बेग फिल्टर (उन्नयन कर) एवं 30 मीटर ऊंची स्थापित चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाना प्रस्तावित है। फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी।

8. ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था –

Waste	Existing Quantity (TPA)	After Expansion Quantity (TPA)	Disposal Method
Defective Billets	1,800	5,648	Reused in own Induction Furnaces
Mill Scale	891	4,752	Sold to Ferro alloys/pelletization Plants
Slag	6,910	18,420	Will be given to metal recovery units and/ or sent to Jindal Slag dumping yard
Refractory Waste	45	119	Given to recycler / landfill
Total	**9,646**	**28,939**	

9. जल प्रबंधन व्यवस्था –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 14 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन एवं कूलिंग हेतु 11 घनमीटर प्रतिदिन) जल का उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु कुल 95 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 6 घनमीटर प्रतिदिन एवं कूलिंग हेतु 89 घनमीटर प्रतिदिन) जल का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। जल की आपूर्ति ग्राउण्ड वॉटर से की जाती है। घरेलू उपयोग हेतु भू–जल का उपयोग किया जाता है, वर्तमान में 14 घनमीटर प्रतिदिन हेतु सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त की गई है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत अपनाई जाएगी। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति लिया जाना प्रस्तावित है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। कूलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् उपरोक्त व्यवस्था अपनाई जाएगी। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी। वर्तमान में भी उपरोक्त व्यवस्था अपनाई गई है। समिति द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा।

10. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – परियोजना हेतु कुल 15 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी, जिसकी जिंदल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड द्वारा किया जाता है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट का उपयोग किया जाएगा।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया है कि पूर्व में मेसर्स श्री राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 01 अक्टूम्बर, 2020 से 01 दिसम्बर, 2020 के मध्य किया गया था। उनके द्वारा बताया गया कि (1) मेसर्स श्री राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड एवं मेसर्स सदगुरू इस्पात प्राईवट लिमिटेड (आवेदित प्रकरण) में श्री रितेश अग्रवाल, डॉयरेक्टर कॉमन है, (2) उक्त दोनों उद्योगों के पर्यावरण सलाहकार मेसर्स एनॉकान लेबोरट्रीज प्राईवेट लिमिटेड, नागपुर द्वारा अधिकृत किये गये है, (3) दोनों उद्योगों के मध्य की दूरी 500 मीटर से भी कम है एवं (4) मेसर्स श्री राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ई.आई.ए. तैयार किये जाने हेतु एकत्रित बेसलाईन डाटा कलेक्शन की अवधि हाल ही (Recent) की है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आवेदित प्रकरण हेतु उक्त बेसलाईन डाटा का उपयोग कर ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने का अनुरोध किया गया है। जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन–फेरस) हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit the revised layout earmarking atleast 15m wide green belt all along the pheriphery of the project area. Area of green belt shall not be less than 40%.

ii. Project proponent shall submit the details of STP and ETP along with its process flow chart.

iii. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

iv. Project proponent shall submit NOC from CGWA for withdrawal of ground water.

v. Project proponent shall ensure that all internal roads made pucca and submit photographs with final EIA.

vi. Project proponent shall submit compliance report for Environment Clearance from Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur.

vii. Project proponent shall submit compliance report from Regional Office, Chhattisgarh Environment Conservation Board if any violation related to environmental pollution committed by industry in last one year and the remedial measures taken in this regard.

viii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

10. मेसर्स श्री अफजल अहमद खान (दुलोपुर सेण्ड माईन), ग्राम–दुलोपुर, तहसील व जिला–रायगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1666)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 208386 / 2021, दिनांक 20 / 05 / 2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–दुलोपुर, तहसील व जिला–रायगढ़ स्थित खसरा क्रमांक 304, कुल क्षेत्रफल– 4.68 हेक्टेयर में है। उत्खनन माण्ड नदी से किया जाता है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 75,396 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 11 / 06 / 2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 375वीं बैठक दिनांक 15 / 06 / 2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अफजल अहमद खान, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में सरपंच, ग्राम पंचायत भातपुर (दुलोपुर सेण्ड माईन) के नाम से रेत खदान खसरा क्रमांक 304, क्षेत्रफल 10 हेक्टेयर, क्षमता– 1,00,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 20 / 12 / 2016 को जारी की गई। यह स्वीकृति 2 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

   ii. पूर्व में सरपंच, ग्राम पंचायत भातपुर को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता समाप्त हो गई है। अतः वर्तमान में आवेदक द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। गाद अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।

   iii. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 790 / ख.लि.–3 / रेत / 2021 रायगढ़, दिनांक 12 / 04 / 2021 के अनुसार विगत वर्ष किये गये उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2017–18	59,400
2018–19	53,700
2019–20	निरंक

iv. नदी तट पर शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत भातपुर का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **चिन्हांकित / सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित / सीमांकित कर घोषित है।

4. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 24 / ख.लि.–3 / रेत / 2021 रायगढ़, दिनांक 04 / 01 / 2021 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 61 / खनि / न.क्र. / 2020 रायगढ़, दिनांक 07 / 01 / 2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र / संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 59 / खनि / न.क्र. / 2020 रायगढ़, दिनांक 07 / 01 / 2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, मरघट, पुल, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्री अफजल अहमद खान के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक / 5150 / ख.लि.–3 / रेत नीलामी / 2020 रायगढ़, दिनांक 22 / 12 / 2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–दुलोपुर 1 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–दुलोपुर 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 19 कि.मी. दूर है। एनीकट खदान से 433 मीटर की दूरी पर अपस्ट्रीम में स्थित है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल स्थित नहीं है।

10. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 441 मीटर, न्यूनतम 415 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 354 मीटर, न्यूनतम 340 मीटर एवं चौड़ाई – अधिकतम 136 मीटर, न्यूनतम 134 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 79 मीटर, न्यूनतम 50 मीटर है।

12. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 4 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 75,396 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 5 गढ्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3.23 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 05/04/2021 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
62	2%	1.24	Following activities at Nearby Government Primary School, **Village - Dulopur**	
			Rain Water Harvesting System	0.50
			Potable Drinking Water Facility With AMC	0.34
			Running Water Facility for Toilets	0.30
			Plantation	0.10
			Total	**1.24**

15. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – एनीकट खदान से 433 मीटर की दूरी पर अपस्ट्रीम में स्थित है। नये गाइडलाईन अनुसार एनीकट के डाउनस्ट्रीम में कम से कम 500 मीटर छोड़ा जाना आवश्यक है। अतः एनीकट की तरफ से खदान से 67 मीटर लंबाई का खनन क्षेत्र को खनन के लिए प्रतिबंधित किया गया है। उपरोक्तानुसार माईनिंग प्लान में गैर माईनिंग क्षेत्र 9,102 वर्गमीटर रखा गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य अवशेष 3.769 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

16. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत

पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। माण्ड नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–दुलोपुर) का रकबा 4.68 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।
2. **वृक्षारोपण कार्य** – प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 3,500 नग पौधे – 1,750 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 1,750 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त पहुंच मार्ग पर 700 नग पौधे लगाए जायेंगे।
3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**
   i. मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्हीं ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।
   ii. इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्हीं ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।
   iii. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2022, 2023, 2024 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स श्री अफजल अहमद खान, दुलोपुर सेण्ड माईन, खसरा क्रमांक 304, ग्राम–दुलोपुर, तहसील व जिला–रायगढ़, कुल लीज क्षेत्रफल 4.68 हेक्टेयर में से गैर माईनिंग क्षेत्र 9,102 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 3.769 हेक्टेयर क्षेत्र में, रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 37,700 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु **परिशिष्ट–03** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

6. गैर माईनिंग क्षेत्र एवं अवशेष माईनिंग क्षेत्र का मौके पर खनिज विभाग से स्पष्ट सीमांकन कराने के उपरांत ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

11. मेसर्स शिवम स्टील कॉर्पोरेशन, ग्राम–सांकरा, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1667)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 212672/ 2021, दिनांक 20/05/2021।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् ग्राम–सांकरा, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 295/7, 295/8, 295/5, 262/2, 296/8, 297/4, 300/7, 295/7, 295/8, 296/2, 296/8, 297/4 एवं 300/7, कुल क्षेत्रफल – 3.1 एकड़ में न्यू इण्डक्शन फर्नेस क्षमता –59,800 टन प्रतिवर्ष एवं रि–हीटिंग आधारित रोलिंग मिल क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 59,500 टन प्रतिवर्ष करने के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के उपरांत विनियोग की कुल लागत 4.5 करोड़ होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 11/06/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की **375वीं बैठक दिनांक 15/06/2021**:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री पन्नालाल बंसल, डॉयरेक्टर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ऑनलाईन आवेदन में त्रुटिवश इण्डक्शन फर्नेस क्षमता – 59,800 टन प्रतिवर्ष एवं रि–हीटिंग आधारित रोलिंग मिल क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 59,500 टन प्रतिवर्ष के लिए आवेदन किया गया है। उनके द्वारा वर्तमान में स्थापित कोल गैसीफायर एवं रि–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल के पुराने रोल्स को बदलकर न्यू रोलिंग मिल क्षमता – 59,500 टन प्रतिवर्ष की स्थापना करने एवं कोई भी इण्डक्शन फर्नेस की स्थापना नहीं करने के प्रस्ताव हेतु पुनः फार्म–2 प्रस्तुत करते हुये इसे मान्य किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।
2. जल **एवं वायु सम्मति** –
   - क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर से रोलिंग मिल क्षमता 30,000 टन प्रतिवर्ष, एवं एम.एस. पाईप्स एण्ड ट्यूब्स क्षमता 90,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 02/08/2019 को जारी की गई है, जिसकी वैद्यता 30/06/2024 तक है।

- पूर्व में जारी सम्मति नवीनीकरण के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है।

3. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- निकटतम आबादी ग्राम–सांकरा स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन मांढर 6 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, रायपुर 22 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 0.5 कि.मी. दूर है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

4. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

S.No.	Land use	Area (in SQM)	Area (%)
1.	Rolling Mill Area	2,927	23.32
2.	Finished Good Area	1,540	12.27
3.	Raw Material Yard	1,040	8.29
4.	Road Area	1,700	13.55
5.	Greenbelt Area	5,343	42.57
Total		**12,550**	**100**

5. **रॉ–मटेरियल –**

S.No	Input	TPA	Source	Transport
Rolling Mill				
1.	Billets	60,000	Open Market	By Road (through covered trucks)

6. **स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –**

S. No.	Name	Existing Capacity (TPA)	After Expansion Capacity (TPA)
1.	Reheating Based Rolling Mill	30,000 (10 hrs working)	59,500 (18 hrs working)
2.	M.S. Pipes & Tubes	90,000	90,000 (No Change)
Note: Existing Rolling Mill of capacity 30,000 TPA shall be replaced and new Rolling Mill of capacity 59,500 TPA will be installed. Existing Coal Gasifier based reheating furnace shall not be changed and capacity expansion shall be achieved by increasing working hours of reheating furnace from 10 Hrs per day to 18 Hrs per day.			

7. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था –** वर्तमान में रोलिंग मिल रि–हीटिंग फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्क्रबर एवं 30 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थापित है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् रोलिंग मिल रि–हीटिंग फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बेग फिल्टर एवं 30 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य

घनमीटर से कम कर 25 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर रखा जाना प्रस्तावित है। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु भी अपनाई जाएगी। एम.एस. पाईप्स एवं ट्यूब्स के उत्पादन में किसी भी प्रकार के ईंधन का उपयोग नहीं किया जाता है तथा इलेक्ट्रीक वेल्डिंग के माध्यम से एम.एस. पाईप्स एवं ट्यूब्स का उत्पादन किया जाता है।

8. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – वर्तमान में उत्पन्न मिल स्केल एवं स्क्रैप को स्टील उद्योग इकाई को विक्रय किया जाता है। यूस्ड आयल को अधिकृत विक्रेता को विक्रय किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् रोलिंग मिल से मिल स्केल – 500 टन प्रतिवर्ष, स्क्रैप – 800 टन प्रतिवर्ष एवं यूस्ड आयल – 180 लीटर प्रतिवर्ष अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि कोल गैसीफायर से उत्पन्न सिण्डर / राख का उपयोग भूमि भराव एवं सड़क निर्माण में किया जाता है। यही व्यवस्थायें प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी।

9. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 8 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन एवं अन्य उपयोग हेतु 6 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु कुल 12 घनमीटर प्रतिदिन (कूलिंग हेतु 6 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीन बेल्ट हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। जल की आपूर्ति भू–जल से की जाती है। जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है, जो दिनांक 28/12/2023 तक वैध है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। रोलिंग मिल से कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कुलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। औद्योगिक दूषित जल के उपचार हेतु ई.टी.पी.(न्यूट्रिलाईजेशन सिस्टम) स्थापित है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी। वर्तमान में 1.6 घनमीटर प्रतिदिन घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत घरेलू दूषित जल की मात्रा 2 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसके उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार–
  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।
  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की

अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा जल का कुल रनऑफ 8,060 घनमीटर प्रतिवर्ष है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 6 नग रिचार्ज पिट (लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर, गहराई 2.5 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके। समिति का मत है कि यह कार्य आगामी 2 माह में पूर्ण किया जाए।

10. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी** – सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा / गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत किया गया है। इसके अनुसार वर्तमान में पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के अनुसार कुल उत्सर्जन मात्रा 8,403 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित बेग फिल्टर एवं चिमनी से पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 25 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से डस्ट उत्सर्जन की मात्रा 7,560 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होगी। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल उत्पन्न होगा, अपितु रोलिंग मिल के कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कुलिंग हेतु उपयोग में लाया जाएगा तथा शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् कुल 1,480 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होगा। उत्पन्न सभी ठोस अपशिष्टों का अपवहन उपरोक्तानुसार किया जाएगा। इस प्रकार क्षमता विस्तार उपरांत (1) प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मैटर की मात्रा में कमी, (2) उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि होगी जिसे पुनःउपयोग/विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा तथा (3) जल उपभोग की मात्रा में आंशिक वृद्धि होना संभावित है।

11. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – परियोजना हेतु 4.5 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। वर्तमान में विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाती है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 250 के.व्ही.ए. क्षमता का डी. जी. सेट एकॉस्टिक इंक्लोजर में स्थापित है। जिसमें 12 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है।

12. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – वर्तमान में हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल 0.311 हेक्टेयर क्षेत्र में 482 नग पौधे रोपित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् 0.534 हेक्टेयर (42.57 प्रतिशत) क्षेत्र में 853 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी चौड़ाई 7 मीटर से 12 मीटर रखा जाना प्रस्तावित है। वृक्षारोपण का कार्य आगामी 1 माह में पूर्ण किया जाएगा।

13. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Additional Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
450	1%	4.5	Following activities at 2 Nearby Government School, **Village-Giroud & Chatoud**	
			Rain Water Harvesting System	2.29
			Potable Drinking Water Facility With AMC	0.90
			Running Water Facility	0.80
			Plantation with Fencing	0.70
			Total	**4.69**

14. स्थापित उद्योग में प्रस्तावित क्षमता विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित नहीं है। अतः किसी भी प्रकार के पुर्नवास एवं पुर्नस्थापना की स्थिति निर्मित नहीं होती है।

15. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. नं. J-13012/12/2013-IA-II(I) दिनांक 24/12/2013 के अनुसार 'बी' श्रेणी की परियोजनाओं 'को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने हेतु 'बी1' अथवा 'बी2' केटेगरी में किए जाने संबंधी गाईडलाईन जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन फेरस) हेतु निम्नानुसार गाईडलाईन जारी किए गए है:–

   "Category B2 – All non toxic secondary metallurgical processing industries involving operation of furnaces only, such as induction and electric arc furnaces, submerged arc furnaces, and cupola with capacity > 30,000 TPA but < 60,000 TPA provided that such projects are located within the notified Industrial Estates."

16. ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के पैरा 7(i)(a) के अनुसार State Level Expert Appraisal Committee will decide on due diligence necessary including preparation of Environment Impact Assessment and Public consultations and the application shall be appraised accordingly for grant of environmental clearance.

17. समिति का सर्वसम्मति से यह मत है कि प्रस्तावित क्षमता विस्तार के तहत उन्नत वायु प्रदूषण नियंत्रण अपनाने से उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी होना प्रस्तावित है। उद्योग में कुल 3,600 घनमीटर प्रतिवर्ष जल की आवश्यकता होगी। उद्योग द्वारा अपने क्षेत्र में कुल 8,060 घनमीटर जल रेन वॉटर हार्वेस्टिंग द्वारा रिचार्ज किया जाएगा। समग्र रूप से स्थापित एवं प्रस्तावित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं, शून्य निस्सारण बनाये रखने, उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी, उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्टो की मात्रा में वृद्धि (यद्यपि कुल मात्रा में वृद्धि होगी, जिसे पुनःउपयोग/विभिन्न कार्यों में

उपयोग किया जाएगा) तथा इनके सुरक्षित एवं वैज्ञानिक विधि से आवहन करने, जल उपभोग की मात्रा में कुछ वृद्धि होगी, जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु परिसर के पूर्ण रनऑफ को रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था से रिचार्ज किये जाने से होगी तथा क्षमता विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण नहीं किये जाने के कारण किसी प्रकार के पुनर्वास एवं पुनःस्थापना की स्थिति निर्मित नहीं होने से पर्यावरणीय घटकों पर नगण्य प्रभाव (insignificant impact on environment) पड़ने की संभावना है। अतः प्रस्तावित कार्यकलापों को "बी1" श्रेणी के अंतर्गत मानते हुए, ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के पैरा 7(i)(a) के प्रावधान के तहत, समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित कार्यकलापों हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं लोक सुनवाई की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत मेसर्स शिवम स्टील कॉर्पोरेशन, ग्राम–साकरा, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 295/7, 295/8, 295/5, 262/2, 296/8, 297/4, 300/7, 295/7, 295/8, 296/2, 296/8, 297/4 एवं 300/7, कुल क्षेत्रफल – 3.1 एकड़ में स्थापित कोल गैसीफायर एवं रि–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल के पुराने रोल्स को बदलकर कर न्यू रोलिंग मिल क्षमता – 59,500 टन प्रतिवर्ष की स्थापना करने हेतु **परिशिष्ट–04** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

12. मेसर्स श्री अरविंद कुमार अग्रवाल (भरदा सेण्ड माईन), ग्राम–भरदा, तहसील व जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1668)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 212741/2021, दिनांक 21/05/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत (गौण खनिज) खदान है। यह खदान ग्राम–भरदा, तहसील व जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 01, कुल क्षेत्रफल–4.9 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन शिवनाथ नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 80,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 11/06/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 375वीं बैठक दिनांक 15/06/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री प्रदीप मांडिया, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत भरदा का दिनांक 21/02/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
4. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (छ.ग.), संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पृ. ज्ञापन क्रमांक/1876/खनि02/रेत/मा.प्ल.अनु./न.क्र. 320/2019 नवा रायपुर, दिनांक 24/03/2021 द्वारा अनुमोदित है।
5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 1074/खनिज/ख.लि. 3/रेत/2019 दुर्ग, दिनांक 25/10/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/1074/खनिज/ख.लि. 3/रेत/2019 दुर्ग, दिनांक 25/10/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे बांध, एनीकट, मंदिर, मस्जिद, मरघट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्री अरविंद कुमार अग्रवाल के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/4088/खनिज/रेत(रिवर्स बीडिंग)/2021 दुर्ग, दिनांक 10/03/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध है।
8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–भरदा 2 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–भरदा 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 4 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।
10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की औसत चौड़ाई – 300 मीटर तथा खनन स्थल की औसत लंबाई – 391 मीटर एवं चौड़ाई – अधिकतम 150 मीटर, न्यूनतम 90 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी 10 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।

12. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 4 मीटर से अधिक तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 82,760 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 4 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 1.82 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ मे 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 22/02/2021 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
31.6	2%	0.63	Following activities at Nearby Government Primary School, **Village- Bharda**	
			Rain Water Harvesting System	0.60
			Running Water Facility for Toilets	0.22
			Plantation	0.18
			Total	1.00

15. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – नदी के पाट की औसत चौड़ाई 300 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट के किनारे से दूरी 10 मीटर है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नही किया जा सकता। माईनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत छोड़कर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 7,620 वर्गमीटर गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के अवशेष 4.138 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

16. रेत की वास्तविक गहराई हेतु प्रस्तुत पंचनामा के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 1.82 मीटर है। उक्त पंचनामा से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उत्खनन क्षेत्र में 1.82 मीटर गहराई के नीचे रेत की उपलब्धता है अथवा नहीं? अतः इस संबंध में स्थिति स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में बेड रॉक (Bed Rock) के ऊपर अवस्थित रेत की मोटाई संबंधी जानकारी (पंचनामा सहित) प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

13. मेसर्स शिवम ओव्हरसीस, ग्राम–गुमा, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1669)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 212752/ 2021, दिनांक 21/05/2021।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत ग्राम–गुमा, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 731/1, 738/1, 732/1, 732/2, 737/1 एवं 737/2, कुल क्षेत्रफल – 1.113 हेक्टेयर में स्थापित कोल्ड रोलिंग मिल क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष के स्थान पर कोल गैसीफायर एवं रि–हिटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल क्षमता 59,500 टन प्रतिवर्ष करने के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के उपरांत विनियोग की कुल लागत 6 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 11/06/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की **375वीं बैठक दिनांक 15/06/2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री पन्नालाल बंसल, डॉयरेक्टर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **जल एवं वायु सम्मति** –

- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर से एम.एस./एस.एस. कोल्ड रोलिंग मिल क्षमता–30,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष, एम.एस./एस.एस./जीआई/जीपी स्ट्रीप्स, क्वाईल, पाईप्स एण्ड स्ट्रक्चर क्षमता–90,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 19/12/2019 को जारी की गई है, जिसकी वैद्यता 31/12/2024 तक है।
- पूर्व में जारी सम्मति नवीनीकरण के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है।

2. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी** –

- निकटतम आबादी ग्राम–गुमा स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन मांढर 6 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, रायपुर 22 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 0.5 कि.मी. दूर है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित

क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –

S.No.	Land use	Area (in SQM)	Area (%)
1.	Rolling Mill Area	2,500	22.12
2.	Finished Good Area	1,400	12.28
3.	Raw Material Yard	1,695	15.00
4.	Road Area	1,180	10.46
5.	Greenbelt Area	4,525	40.04
Total		11,300	100

4. रॉ–मटेरियल –

S.No	Input	TPA	Source	Transport
Gasifier and Re-heating Furnace Based Rolling Mill				
1.	Billets	59,800	Open Market	By Road (through covered trucks)

5. स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –

S. No.	Particular	Capacity	Working Hours Per Day
1.	Existing MS/SS Cold Rolling Mill and MS Pipes & Tubes/GI Pipes Manufacturing	Cold Rolling Mill (with acid pickling & annealing furnace) MS/SS Product - 30,000 TPA and MS Pipes & Tubes/GI Pipes – 90,000 TPA	10
2.	Proposed MS/SS Hot Rolling Mill and Existing MS Pipes & Tubes/GI Pipes Manufacturing	Gasifier and Re-heating Furnace Based Rolling Mill Rerolled Product - 59,500 TPA and MS Pipes & Tubes/GI Pipes – 90,000 TPA (no change from existing unit)	18
Note: Existing Cold Rolling Mill of capacity 30,000 TPA shall be replaced and new Rolling Mill with Reheating Furnace (Coal Gasifier based) of capacity 59,500 TPA will be installed. Capacity expansion shall be achieved by increasing working hours from 10 Hrs per day to 18 Hrs per day.			

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि कोल्ड रोलिंग मिल के साथ ऐसिड पिकलिंग एवं ऐनेलिंग फर्नेस को डिस्मेंटल किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में कोल्ड रोलिंग मिल क्षमता 30,000 टन प्रतिवर्ष के स्थान पर कोल गैसीफायर एवं रि–हीटिंग फर्नेस (क्षमता 10 टन प्रतिघंटा) आधारित रोलिंग मिल से 59,500 टन प्रतिवर्ष रि–रोल्ड प्रोडक्स का उत्पादन किया जाना

प्रस्तावित है। वर्तमान में एम.एस. पाईप्स एवं ट्यूब्स/जी.आई. पाईप्स क्रमशः 90,000 टन प्रतिवर्ष स्थापित है। जी.आई. पाईप्स उत्पादन हेतु हॉट डीप गैल्वेनाईजिंग इकाई से गैल्वेनाईज किया जाता है। गैल्वेनाईजिंग इकाई में स्थापित जिंक फर्नेस में फर्नेस ऑयल 6 कि.ली. प्रतिदिन उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् रि-हीटिंग फर्नेस में कोल गैसीफायर से जनित गैस का उपयोग रि-हीटिंग फर्नेस में बिलेट्स/इंगाट्स को गर्म कर किया जाएगा। गैसीफायर में 18.8 टन प्रतिदिन कोयले की आवश्यकता होगी।

7. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में कोल्ड रोलिंग मिल के ऐसिड पिकलिंग एवं ऐनेलिंग फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्क्रबर एवं 30 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थापित है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् रोलिंग मिल रि-हीटिंग फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बेग फिल्टर एवं 30 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम कर 25 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर रखा जाना प्रस्तावित है। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु भी अपनाई जाएगी। गैल्वेनाजिंग इकाई के पिकलिंग एवं जिंक फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्क्रबर एवं 30 मीटर ऊंचाई की चिमनी स्थापित है।

8. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – वर्तमान में रोलिंग मिल से स्क्रैप – 800 टन प्रतिवर्ष एवं यूस्ड आयल – 200 लीटर प्रतिवर्ष अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होती है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत रोलिंग मिल से मिल स्केल –500 टन प्रतिवर्ष, स्क्रैप – 800 टन प्रतिवर्ष एवं यूस्ड आयल – 160 लीटर प्रतिवर्ष अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। वर्तमान में कोल्ड रोलिंग मिल एवं गैल्वेनाईजिंग इकाई से कुल उत्पन्न ई.टी.पी. स्लज की मात्रा 40 टन प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत गैल्वेनाईजिंग इकाई से उत्पन्न ई.टी.पी. स्लज की मात्रा 25 टन प्रतिवर्ष होगी। मिल स्केल एवं स्क्रैप को स्टील उद्योग इकाई को विक्रय किया जाता है। स्लज को सीमेंट उद्योग इकाई को उपलब्ध कराया जाता है। यूस्ड आयल को अधिकृत विक्रेता को विक्रय किया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी। प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि कोल गैसीफायर से उत्पन्न सिण्डर/राख का उपयोग भूमि भराव एवं सड़क निर्माण में किया जाएगा।

9. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 8 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन एवं अन्य उपयोग हेतु 6 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु कुल 20 घनमीटर प्रतिदिन (कुलिंग हेतु 12 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीन बेल्ट हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। जल की आपूर्ति भू-जल से की जाती है। जल की आपूर्ति हेतु

सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है। जो दिनांक 02/01/2024 तक वैध है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – पिकलिंग एवं वाशिंग आदि औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। कोल्ड रोलिंग मिल से कूलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। वर्तमान में पिकलिंग/वाशिंग/स्क्रबर से उत्पन्न औद्योगिक दूषित जल के उपचार हेतु ई.टी.पी. (न्यूट्रिलाईजेशन सिस्टम) स्थापित है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी। प्रस्तावित कार्यकलाप के अंतर्गत रि-हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल से कूलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जावेगा। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सोकपिट एवं सेप्टिक टैंक का निर्माण किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत घरेलू दूषित जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसके उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी।

- **भू-जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार-
  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।
  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा जल का कुल रनऑफ 7,446 घनमीटर प्रतिवर्ष है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 6 नग रिचार्ज पिट (लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर, गहराई 2.5 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके। समिति का मत है कि यह कार्य आगामी 2 माह में पूर्ण किया जाए।

10. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी** – सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा / गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत किया गया है। इसके अनुसार वर्तमान में पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के अनुसार कुल उत्सर्जन की मात्रा 8,850 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित बेग फिल्टर एवं चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 25 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 7,970 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होगी। वर्तमान में एस.ओ.$_2$ उत्सर्जन की मात्रा 9,000 कि.

ग्रा. प्रतिवर्ष, एन.ओ.$_{एक्स}$ उत्सर्जन की मात्रा 26,580 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष, एच.सी.एल. वेपर्स (फ्यूम्स) उत्सर्जन की मात्रा 1.92 टन प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित कार्यकलाप के उपरांत एस.ओ.$_2$ उत्सर्जन की मात्रा 9,000 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष, एन.ओ.$_{एक्स}$ उत्सर्जन की मात्रा 26,580 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष, एच.सी.एल. वेपर्स (फ्यूम्स) उत्सर्जन की मात्रा 1.44 टन प्रतिवर्ष होगी। पिकलिंग / वाशिंग / स्क्रबर से उत्पन्न औद्योगिक दूषित जल की मात्रा में वृद्धि नहीं होगी। रि-हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल से कूलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाएगा तथा शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् कुल 1,485 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होगा। उत्पन्न सभी ठोस अपशिष्टों का अपवहन उपरोक्तानुसार किया जाएगा। इस प्रकार क्षमता विस्तार उपरांत (1) प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर, एच.सी.एल. वेपर्स (फ्यूम्स) उत्सर्जन की मात्रा में कमी, (2) एस.ओ.$_2$ उत्सर्जन, एन.ओ.$_{एक्स}$ उत्सर्जन की मात्रा में कोई वृद्धि नहीं, (3) उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि होगी जिसे पुनःउपयोग / विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा तथा (4) जल उपभोग की मात्रा में आंशिक वृद्धि होना संभावित है।

11. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – परियोजना हेतु 2 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाती है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 250 के.व्ही.ए. क्षमता का डी.जी. सेट एकॉस्टिक इंक्लोजर में स्थापित है। जिसमें 12 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है।

12. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – वर्तमान में हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 0.311 हेक्टेयर क्षेत्र में 428 नग पौधे रोपित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् 0.453 हेक्टेयर (40.7 प्रतिशत) क्षेत्र में 702 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। वृक्षारोपण का कार्य आगामी 1 माह में पूर्ण किया जाएगा।

13. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Additional Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
600	1%	6.0	Following activities at 3 Nearby Government School, **Village-Limtara, Pirda & Chilkhadi-2**	
			Rain Water Harvesting System	3.69

			Potable Drinking Water Facility With AMC	1.20
			Running Water Facility	1.05
			Plantation with Fencing	0.75
			Total	6.69

14. स्थापित उद्योग में प्रस्तावित क्षमता विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित नहीं है। अतः किसी भी प्रकार के पुर्नवास एवं पुर्नस्थापना की स्थिति निर्मित नहीं होती है।

15. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. नं. J-13012/12/2013-IA-II(I) दिनांक 24/12/2013 के अनुसार 'बी' श्रेणी की परियोजनाओं 'को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने हेतु 'बी1' अथवा 'बी2' केटेगरी में किए जाने संबंधी गाईडलाईन जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार मैटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन फेरस) हेतु निम्नानुसार गाईडलाईन जारी किए गए है:-

"Category B2 – All non toxic secondary metallurgical processing industries involving operation of furnaces only, such as induction and electric arc furnaces, submerged arc furnaces, and cupola with capacity > 30,000 TPA but < 60,000 TPA provided that such projects are located within the notified Industrial Estates."

16. ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के पैरा 7(i)(a) के अनुसार State Level Expert Appraisal Committee will decide on due diligence necessary including preparation of Environment Impact Assessment and Public consultations and the application shall be appraised accordingly for grant of environmental clearance.

17. समिति का सर्वसम्मति से यह मत है कि प्रस्तावित क्षमता विस्तार के तहत् उन्नत वायु प्रदूषण नियंत्रण अपनाने से उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा मे कमी होना प्रस्तावित है। उद्योग मे कुल 6,000 घनमीटर प्रतिवर्ष जल की आवश्यकता होगी। उद्योग द्वारा अपने क्षेत्र में कुल 7,446 घनमीटर जल रेन वॉटर हार्वेस्टिंग द्वारा संचय किया जाएगा। समग्र रूप से स्थापित एवं प्रस्तावित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं, शून्य निस्सारण बनाये रखने, उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में कमी, एच.सी.एल. वेपर्स (फ्यूम्स) उत्सर्जन की मात्रा में कमी, एस.ओ.$_2$ उत्सर्जन एवं एन.ओ.$_{(x)}$ उत्सर्जन की मात्रा में कोई वृद्धि नहीं होना, उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्टों की मात्रा मे वृद्धि (यद्यपि कुल मात्रा मे वृद्धि होगी, जिसे पुनःउपयोग/विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा) तथा इनके सुरक्षित एवं वैज्ञानिक विधि से अपवहन करने, जल उपभोग की मात्रा मे कुछ वृद्धि होगी, जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु परिसर के पूर्ण रनऑफ को रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था से रिचार्ज किये जाने से होगी तथा क्षमता विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण नहीं किये जाने के कारण किसी प्रकार के पुनर्वास एवं पुनःस्थापना की स्थिति निर्मित नहीं होने से पर्यावरणीय घटकों पर नगण्य प्रभाव

(insignificant impact on environment) पड़ने की सम्भावना है। अतः प्रस्तावित कार्यकलापों को "बी1" श्रेणी के अंतर्गत मानते हुए, ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के पैरा 7(i)(a) के प्रावधान के तहत, समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित कार्यकलापों हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं लोक सुनवाई की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत मेसर्स शिवम ओव्हरसीस, ग्राम–गुमा, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 731/1, 738/1, 732/1, 732/2, 737/1 एवं 737/2, कुल क्षेत्रफल – 1.113 हेक्टेयर में स्थापित कोल्ड रोलिंग मिल क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष के स्थान पर कोल गैसीफायर एवं रि–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल (रोल्ड प्रोडक्ट्स) क्षमता 59,500 टन प्रतिवर्ष करने हेतु **परिशिष्ट–05** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

14. मेसर्स अग्रोहा आयरन एण्ड स्टील इण्डस्ट्रीज, ग्राम–पाली, तहसील व जिला–रायगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 843ए)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 35122/ 2019, दिनांक 23/04/2019 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /आईएनडी/43418/2021, दिनांक 20/05/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत ग्राम–पाली, तहसील व जिला–रायगढ़ (छ.ग.) में स्थित खसरा नं. 25/1, 25/4, 25/5, 25/6, 26/1 एवं 26/3 कुल क्षेत्रफल– 2.698 हेक्टेयर में इण्डक्शन फर्नेस (15 टन गुणा 3 नग) (स्टील इंगाट्स/बिलेट्स) क्षमता–1,48,500 टन प्रतिवर्ष एवं रोलिंग मिल (टी.एम.टी., वॉयर रॉड, एंगल, चैनल, स्टील स्ट्रक्चर्स, पत्रा) क्षमता–30,000 टन प्रतिवर्ष से 1,46,250 टन प्रतिवर्ष (फर्नेस ऑयल/प्रोड्युसर गैस) तथा कोल गैसीफायर क्षमता–7,000 सामान्य घनमीटर प्रतिघंटा के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रुपये 25 करोड़ प्रस्तावित है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/07/2019 द्वारा प्रकरण बी–1 कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन–फेरस) हेतु जारी किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 11/06/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 375वीं बैठक दिनांक 15/06/2021

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई–मेल पत्र दिनांक 12/06/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणो से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः दिनांक 16/06/2021 से दिनांक 19/06/2021 के मध्य आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में प्रेषित पत्र दिनांक 11/06/2021 के परिपेक्ष्य की वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित आगामी आयोजित बैठक दिनांक 18/06/2021 को प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(कालदियुस तिर्की)
सदस्य सचिव
राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
छत्तीसगढ़

(धीरेन्द्र शर्मा)
अध्यक्ष
राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
छत्तीसगढ़

श्री बलवंत राय सलूजा, साकम सेण्ड माईन की खसरा क्रमांक 01, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में से 4.238 हेक्टेयर, ग्राम–साकम, तहसील–बेरला, जिला–बेमेतरा (छ.ग.) में शिवनाथ नदी से रेत उत्खनन क्षमता 36,600 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।

2. **गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट** – परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकडे, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आगामी अवधि के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।

3. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।

4. उत्खनन क्षेत्र 4.238 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 36,600 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। गैर माईनिंग क्षेत्र एवं अवशेष माईनिंग क्षेत्र का मौके पर खनिज विभाग से स्पष्ट सीमांकन कराने के उपरांत ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।

5. मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्हीं ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्हीं ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकडे दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री–मानसून के आंकडे अगस्त 2022, 2023, 2024 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

6. रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

7. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र मे ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 0.82 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह, दोनो मे से जो कम हो, से अधिक नही होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

8. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। इसलिए उत्खनन नदी की सीमा से न्यूनतम 21 मीटर की दूरी के बाद किया जाएगा। किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।

9. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

10. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस-पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव-जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।

11. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिड़काव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

13. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढके हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

14. उत्खनन क्षेत्र मे ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

15. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2021-22 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु कम से कम 300 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 3,500 पौधों का रोपण नदी तट पर तथा इसके अतिरिक्त 700 नग पौधे पहुँच मार्ग में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार की बाढ़ का उपयोग) किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।**

16. वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 3 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

17. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

18. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
59.5	2%	1.20	Following activities at Nearby Government Primary School, **Village- Takam**	
			Rain Water Harvesting System	0.50
			Potable Drinking Water Facility	0.20
			Running Water Facility for Toilets	0.30
			Plantation	0.20
			Total	**1.20**

19. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 03 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।

20. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।

21. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तों एवं तदनुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।

22. कार्य स्थल पर यदि कैम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था

अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

23. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

24. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराया जावे।

25. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

26. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

27. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्त्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

28. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

29. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई–दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जाएगी।

30. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण

मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।

31. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

32. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

33. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

34. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मैसर्स खररूरा ब्रिक अर्थक्ले क्वारी माईन एण्ड फिक्स चिमनी प्लांट (प्रो.– श्री नरेन्द्र जायसवाल) को खसरा क्रमांक 1053 एवं 1528, ग्राम–खररूरा, तहसील व जिला–सूरजपुर, कुल लीज क्षेत्र 2 हेक्टेयर, मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता – 2,530 घनमीटर (ईंट उत्पादन इकाई 12,91,000 नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
2. उत्खनन क्षेत्र 2 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से अधिकतम मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता – 2,530 घनमीटर (ईंट उत्पादन इकाई 12,91,000 नग) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
3. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/06/2013 के अनुसार किसी सिविल स्ट्रक्चर से कम से कम 15 मीटर की दूरी छोड़कर उत्खनन क्षेत्र की परिधि सुनिश्चित किया जाए। फिक्स चिमनी से चारों तरफ उत्खनन क्षेत्र की सीमा कम से कम 15 मीटर दूर सुनिश्चित किया जाए। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/06/2013 में मिट्टी उत्खनन हेतु निर्धारित गाईड–लाईन का पालन सुनिश्चित किया जाए।
5. उत्खनन की अधिकतम गहराई 2 मीटर से अधिक नहीं होगी। उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग मे की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
6. खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए। औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिये सैप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था किया जाए एवं किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
7. भू–जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाए। (यदि आवश्यक हो)

8. ईंट उत्पादन हेतु फिक्सड चिमनी आधारित ईंट भट्टे की स्थापना किया जाए। ईंट भट्टे की चिमनी से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा एवं चिमनी की ऊंचाई भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानक अनुसार सुनिश्चित किया जाए। खनिज उत्खनन के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं पर जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए।
9. ईंट निर्माण में फ्लाई ऐश का उपयोग भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाए।
10. वाहनों एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों (जो भी कठोर हो) के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिये।
11. ईंट निर्माण में ताप विद्युत संयंत्रों से उत्पन्न राख का उपयोग भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा फ्लाई एश के उपयोग हेतु जारी अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार किया जाए। ईंट भट्टे से उत्पन्न राख का पुनरुपयोग ईंट निर्माण में किया जाए। ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न ईंट के टुकड़ों आदि को भू-भरण हेतु उपयोग किया जाए।
12. उत्खनन के दौरान हटाई गई उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग ईंट निर्माण में उपयुक्त नहीं होने पर उत्खनन हेतु उपयोग में नहीं आने वाली भूमि के पुन: उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने मे किया जाए। जहां पर उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ-साथ (कॉनकरेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।
13. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी मिट्टी को उचित प्रकार से सुरक्षित रखा जाए ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सके एवं खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनर्भरण (बैक फिलिंग) हेतु भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। भण्डारित डम्प की ऊँचाई 03 मीटर तथा स्लोप 45 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट, डम्प क्षेत्र, ईंट भट्टा क्षेत्र मे रिटेनिंग वॉल /गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
15. मिट्टी एवं ईंट का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढके हुये वाहन से किया जाए, ताकि मिट्टी अथवा ईंट वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज

का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

16. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
29	2%	0.58	Following activities at Government Primary School khadiyapara, **Village-Kharsura**	
			Rain Water Harvesting System	0.56
			Plantation	0.10
			Total	0.66

17. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 03 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 01 मीटर चौड़ी बेल्ट), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 371 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

19. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2021—22 में कम से कम 200 पौधे प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 400 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।**

20. वृक्षारोपण का रख—रखाव आगामी 3 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

21. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

22. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

23. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।
24. मिट्टी उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए।
25. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
26. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
27. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।
28. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों /विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
29. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें मिट्टी उत्खनन सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
30. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तो के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त मे संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्त्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
31. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 02 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।
32. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अम्बिकापुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए।
33. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की

जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजो एवं आवेदन का पूर्ण सेट क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए।

34. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों की शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।

35. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

36. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

37. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

38. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिये गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी. | **अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.**

मैसर्स श्री अफजल अहमद खान, दुलोपुर सेण्ड माईन को खसरा क्रमांक 304, कुल लीज क्षेत्र 4.68 हेक्टेयर में से 3.769 हेक्टेयर, ग्राम–दुलोपुर, तहसील व जिला–रायगढ़ (छ.ग.) में माण्ड नदी से रेत उत्खनन क्षमता 37,700 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।

2. **गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट** – परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आगामी अवधि के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।

3. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।

4. उत्खनन क्षेत्र 3.769 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 37,700 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। गैर माईनिंग क्षेत्र एवं अवशेष माईनिंग क्षेत्र का मौके पर खनिज विभाग से स्पष्ट सीमांकन कराने के उपरांत ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।

5. मानसून के बाद (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्हीं ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्हीं ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2021, 2022, 2023 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2022, 2023, 2024 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

6. रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

7. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र मे ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 1 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह, दोनों मे से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

8. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। इसलिए उत्खनन नदी की सीमा से न्यूनतम 44 मीटर की दूरी के बाद किया जाएगा। किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।

9. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

10. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस–पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव–जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।

11. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिड़काव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

13. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढके हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

14. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

15. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2021–22** में नदीतट के **कटाव को रोकने हेतु कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर** लीज क्षेत्र के **अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, शीशु, आम, इमली, शीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 3,500 पौधों** का रोपण नदी तट पर **तथा इसके अतिरिक्त 700 नग पौधे पहुँच मार्ग में** किया जाए। रोपण को **सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था** (यथा कांटेदार तार **की बाढ़ का उपयोग) किया जाए।** उपरोक्त **वृक्षारोपण** प्रथम वर्ष में **पूर्ण किया जाए।**

16. वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 3 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

17. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

18. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
62	2%	1.24	Following activities at Nearby Government Primary School, **Village - Dulopur**	
			Rain Water Harvesting System	0.50
			Potable Drinking Water Facility With AMC	0.34
			Running Water Facility for Toilets	0.30
			Plantation	0.10
			Total	**1.24**

19. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 03 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।

20. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।

21. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तों एवं तद्नुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।

22. कार्य स्थल पर यदि कैम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था

अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

23. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

24. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराया जाये।

25. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

26. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

27. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्त्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

28. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

29. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायगढ़, एस. ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जाएगी।

30. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण

मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।

31. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

32. प्रस्तावित परियोजना के बारे मे एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

33. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय मे 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

34. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 मे दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि मे की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी. | अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

ENVIRONMENTAL CLEARANCE CONDITIONS OF M/S SHIVAM STEEL CORPORATION FOR EXPANSION OF COAL GASIFIER BASED REHEATING ROLLING MILL OF CAPACITY- 30,000 TONNES / YEAR TO 59,500 TONNES / YEAR BY REPLACING OLD ROLLS

I. Statutory Compliance:

i. Existing Rolling Mill of capacity 30,000 TPA shall be replaced and new Rolling Mill of capacity 59,500 TPA will be installed. Existing Coal Gasifier based reheating furnace shall not be changed and capacity expansion shall be achieved by increasing working hours of reheating furnace from 10 Hrs per day to 18 Hrs per day.

ii. The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB).

iii. The project proponent shall obtain all necessary permission from the Central Ground Water Authority, in case of drawl of ground water / from the competent authority concerned in case of drawl of surface water required for the project.

iv. The project proponent shall obtain authorization under the Hazardous and Other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time.

v. Rain water harvesting within the premises shall be complete within 2 months.

II. Air Quality Monitoring and Preservation

i. The project proponent shall install 24x7 continuous emission monitoring system at process stacks to monitor stack emission with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules 1986 vide G.S.R 277(E) dated 31st March 2012 (applicable to IF/EAF) as amended from time to time; and connected to SPCB and CPCB online servers and calibrate these system from time to time according to equipment supplier specification through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

ii. The project proponent shall monitor fugitive emissions in the plant premises at least once in every quarter through laboratories recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

iii. The project proponent shall make provision for carryout Ambient Air Quality monitoring for common / criterion parameters relevant to the main pollutant released (e.g. PM_{10} and $PM_{2.5}$ in reference to PM emission, and SO_2 and NO_x in reference to SO_2 and NO_x emissions) within and outside the plant area (at least at four locations one within and three outside the plant area at an angle of 120° each), covering upwind and downwind directions.

iv. The project proponent shall provide adequate air pollution control arrangements at all point and non point sources. Collecting hoods with bag filters of adequate capacity and high efficiency shall be installed in rolling mill with minimum 30 meter stack height to ensure particulate matter emission less than 25 mg/Nm³ all the time. The project proponent shall provide leakage detection and mechanized bag cleaning facilities for better maintenance of bags. Project proponent shall install suitable & effective air pollution control equipments at all transfer points, junction points etc. also. All the conveying system, transfer point, junction point etc. shall be covered. Adequate provision shall be made for sprinkling of water at strategic locations to ensure dust does not get air borne. For controlling fugitive dust, regular sprinkling of water in vulnerable areas of the plant shall be ensured. All air pollution control systems shall be kept in good running condition all the time and failure (if any), shall be immediately rectified without delay; otherwise, similar alternate arrangement shall be made. In the event of any failure of any pollution control system adopted by the Project proponent, the respective production unit shall not be restarted until the control measures are rectified to achieve the desired

efficiency. As per proposal submitted emission of pollutants from any point source shall not exceed the following limit: -

Particulate Matter	25 mg/Nm³ (Twenty five Milligram per Normal Cubic Meter)

Project proponent shall provide proper space provision for further retrofitting of air pollution control systems in case of further stringency of particulate matter emission limit. The height of any other stack(s) shall not be less than 30 meters.

v. The project proponent shall submit monthly summary report of continuous stack emission and air quality monitoring and results of manual stack monitoring and manual monitoring of air quality / fugitive emissions to Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six- monthly monitoring report.

vi. Sufficient number of mobile or stationary vacuum cleaners shall be provided to clean plant roads, shop floors, roofs, regularly.

vii. Recycle and reuse iron ore fines and such other fines collected in the pollution control devices and vacuum cleaning devices in the process.

viii. The project proponent shall use mechanically covered leak proof trucks / dumpers vehicles for transportation of raw materials.

ix. At entry and exit point of plant, wheel wash system shall be provided to control wheel generated dust.

x. Provision for monitoring of vehicles by installation of closed circuit cameras (CCTv) at suitable locations i.e. entry gate, weigh bridge, internal parking area etc. shall also be made to ensure the incoming and outgoing vehicles are mechanically covered.

xi. The project proponent shall provide covered sheds for raw materials like scrap and sponge iron etc.

III. Water Quality Monitoring and Preservation

i. The project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of industrial effluent and domestic effluent. Sewage Treatment arrangement shall be provided for treatment of domestic effluent to meet the prescribed standards. Project proponent shall ensure the treated effluent quality within standard prescribed by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India under G.S.R. 277(E) dated 31st March 2012 (applicable to IF/EAF) as amended from time to time. No effluent shall be discharged out of plant premises under any circumstances. Any liquid effluent what so ever generated shall not be discharged into the river or any surface water bodies under any circumstances, and it shall be reused wholly in the process / plantation within plant area. Adhere to 'Zero Liquid Discharge'.

ii. The project proponent shall monitor regularly ground water quality at least twice a year (pre and post monsoon) at sufficient numbers of piezometers / sampling wells in the plant and adjacent areas through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 and NABL accredited laboratories.

iii. The project proponent shall submit monthly summary report of effluent monitoring and results of manual effluent testing and manual monitoring of ground water quality to Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six-monthly monitoring report.

iv. Garland drains and collection pits shall be provided for each stock pile to arrest the run-off in the event of heavy rains and to check the water pollution due to surface run off.

v. The project proponent shall practice rainwater harvesting to maximum possible extent.

vi. The project proponent shall make efforts to minimize water consumption in the plant by segregation of used water, practicing cascade use and by recycling treated water.

IV. Noise Monitoring and Prevention

i. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur as a part of six-monthly compliance report.

ii. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 viz. 75 dB (A) during day time and 70 dB (A) during night time.

V. Energy Conservation Measures

i. Ensure installation of regenerative type burners on all reheating furnace(s). No additional reheating furnace(s) shall be installed.

ii. Provide solar power generation on roof tops of buildings, for solar light system for all common areas, street lights, parking around project area and maintain the same regularly.

iii. The project proponent shall ensure use of LED lights in their offices and residential areas.

VI. Waste Management

i. The project proponent shall take effective steps for safe disposal of solid wastes and sludge. Mill scale & Scrap shall be sold to steel industry units. Oily sludge shall be sold to authorized recyclers / re-processors for proper disposal through incineration. Cinder /fly ash shall be used in road making and land filling.

ii. Used refractories shall be recycled as far as possible.

iii. The waste oil, grease and other hazardous waste shall be disposed of as per the Hazardous & Other Waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016.

iv. The project proponent shall utilize fly ash bricks / blocks etc. in all construction activities.

v. Kitchen waste (if any) shall be composted or converted to biogas for further use.

VII. Green Belt

i. Green belt shall be developed in an area not less than 42.57% (0.534 Ha) of the total plant area with a native tree species in accordance with CPCB guidelines. Greenbelt shall inter alia cover the periphery of the plant. As far as possible maximum area of open spaces shall be utilized for plantation purposes. Project proponent shall ensure that remaining 853 Nos plantation will be done within 1 month.

ii. The project proponent shall prepare GHG emissions inventory for the plant and shall submit the programme for reduction of the same including carbon sequestration including plantation.

VIII. Human health issues

i. Emergency preparedness plan based on the Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.

ii. The project proponent shall carry out heat stress analysis for the workmen who work in high temperature work zone and provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of Factory Act.

iii. Provision shall be made for the housing of construction labourwithin the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, creche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.

iv. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.

IX. Corporate Environment Responsibility

i. The project proponent shall undertake the following Corporate Environment Responsibility under environment management plan as per proposal submitted within 06 months:-

Additional Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
450	1%	4.5	Following activities at 2 Nearby Government School, **Village-Giroud & Chatoud**	
			Rain Water Harvesting System	2.29
			Potable Drinking Water Facility With AMC	0.90
			Running Water Facility	0.80
			Plantation with Fencing	0.70
			Total	**4.69**

ii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.

iii. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of Senior Executive, who will directly to the head of the organization.

iv. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur / SEIAA, Chhattisgarh along with the Six Monthly Compliance Report.

v. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

vi. All the recommendations made in the Charter on Corporate Responsibility for Environment Protection (CREP) for the plants (if any) shall be implemented.

X. Miscellaneous

i. No additional land shall be acquired for this project.

ii. Local persons shall be given employment during development and operation of the plant.

iii. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.

iv. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of Local Bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.

v. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.

vi. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely; PM_{10}, SO_2, NO_x (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters (if any), indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.

vii. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.

viii. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company. The project proponent shall inform the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur as well as SEIAA, Chhattisgarh the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.

ix. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) and the State Government.

x. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA / EMP report and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee.

xi. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh.

xii. Concealing factual data or submission of false / fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

xiii. SEIAA, Chhattisgarh may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory.

xiv. SEIAA, Chhattisgarh reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.

xv. The Integrated Regional Office Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information / monitoring reports.

xvi. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

xvii. Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

xviii. Environment clearance will be valid as per the provision of EIA Notification, 2006 (as Amended).

Member Secretary, SEAC **Chairman, SEAC**

ENVIRONMENTAL CLEARANCE CONDITIONS OF M/S SHIVAM OVERSEAS FOR EXISTING COLD ROLLING MILL OF CAPACITY 30,000 TPA SHALL BE REPLACED WITH COAL GASIFIER & REHEATING FURNACE BASED ROLLING MILL CAPACITY 59,500 TPA WILL BE INSTALLED

I. Statutory Compliance:

i. Existing Cold Rolling Mill along with pickling and anealling furnace of capacity 30,000 TPA shall be totally replaced with Coal Gasifier & Reheating Furnace based Rolling Mill of capacity 59,500 TPA. Above capacity expansion shall be achieved by increasing working hours from 10 Hrs per day to 18 Hrs per day. Project proponent shall ensure no change in the existing MS Pipes & Tubes/ GI Pipes manufacturing unit and galvanizing unit and it related activies for manufacturing of GI Pipes.

ii. The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB).

iii. The project proponent shall obtain all necessary permission from the Central Ground Water Authority, in case of drawl of ground water / from the competent authority concerned in case of drawl of surface water required for the project.

iv. The project proponent shall obtain authorization under the Hazardous and Other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time.

v. Rain water harvesting within the premises shall be complete within 2 months.

II. Air Quality Monitoring and Preservation

i. The project proponent shall install 24x7 continuous emission monitoring system at process stacks to monitor stack emission with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules 1986 vide G.S.R 277(E) dated 31st March 2012 (applicable to IF/EAF) as amended from time to time; and connected to SPCB and CPCB online servers and calibrate these system from time to time according to equipment supplier specification through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

ii. The project proponent shall monitor fugitive emissions in the plant premises at least once in every quarter through laboratories recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

iii. The project proponent shall make provision for carryout Ambient Air Quality monitoring for common / criterion parameters relevant to the main pollutant released (e.g. PM_{10} and $PM_{2.5}$ in reference to PM emission, and SO_2 and NO_x in reference to SO_2 and NO_x emissions) within and outside the plant area (at least at four locations one within and three outside the plant area at an angle of 120° each), covering upwind and downwind directions.

iv. The project proponent shall provide adequate air pollution control arrangements at all point and non point sources. Collecting hoods with bag filters of adequate capacity and high efficiency shall be installed in rolling mill with minimum 30 meter stack height to ensure particulate matter emission less than 25 mg/Nm³ all the time. The project proponent shall provide leakage detection and mechanized bag cleaning facilities for better maintenance of bags. Project proponent shall install suitable & effective air pollution control equipments at all transfer points, junction points etc also. All the conveying system, transfer point, junction point etc. shall be covered. Adequate provision shall be made for sprinkling of water at strategic locations to ensure dust does not get air borne. For controlling fugitive dust, regular sprinkling of water in vulnerable areas of the plant shall be ensured. All air pollution control systems shall be kept in good running condition all the time and failure (if any), shall be immediately rectified without delay, otherwise, similar alternate arrangement shall be made. In the event of any failure of any pollution control system adopted by the Project proponent, the respective production unit shall not be restarted until the control measures are rectified to achieve the desired

efficiency. As per proposal submitted emission of pollutants from any point source shall not exceed the following limit: -

Particulate Matter	25 mg/Nm^3 (Twenty five Milligram per Normal Cubic Meter)

Project proponent shall provide proper space provision for further retrofitting of air pollution control systems in case of further stringency of particulate matter emission limit. The height of any other stack(s) shall not be less than 30 meters.

v. The project proponent shall submit monthly summary report of continuous stack emission and air quality monitoring and results of manual stack monitoring and manual monitoring of air quality / fugitive emissions to Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six- monthly monitoring report.

vi. Sufficient number of mobile or stationary vacuum cleaners shall be provided to clean plant roads, shop floors, roofs, regularly.

vii. Recycle and reuse iron ore fines and such other fines collected in the pollution control devices and vacuum cleaning devices in the process.

viii. The project proponent shall use mechanically covered leak proof trucks / dumpers vehicles for transportation of raw materials.

ix. At entry and exit point of plant, wheel wash system shall be provided to control wheel generated dust.

x. Provision for monitoring of vehicles by installation of closed circuit cameras (CCTv) at suitable locations i.e. entry gate, weigh bridge, internal parking area etc. shall also be made to ensure the incoming and outgoing vehicles are mechanically covered.

xi. The project proponent shall provide covered sheds for raw materials like scrap and sponge iron etc.

III. Water Quality Monitoring and Preservation

i. The project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of industrial effluent and domestic effluent. Sewage Treatment arrangement shall be provided for treatment of domestic effluent to meet the prescribed standards. Project proponent shall ensure the treated effluent quality within standard prescribed by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India under G.S.R. 277(E) dated 31st March 2012 (applicable to IF/EAF) as amended from time to time. No effluent shall be discharged out of plant premises under any circumstances. Any liquid effluent what so ever generated shall not be discharged into the river or any surface water bodies under any circumstances, and it shall be reused wholly in the process / plantation within plant area. Adhere to 'Zero Liquid Discharge'.

ii. The project proponent shall monitor regularly ground water quality at least twice a year (pre and post monsoon) at sufficient numbers of piezometers / sampling wells in the plant and adjacent areas through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 and NABL accredited laboratories.

iii. The project proponent shall submit monthly summary report of effluent monitoring and results of manual effluent testing and manual monitoring of ground water quality to Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six-monthly monitoring report.

iv. Garland drains and collection pits shall be provided for each stock pile to arrest the run-off in the event of heavy rains and to check the water pollution due to surface run off.

v. The project proponent shall practice rainwater harvesting to maximum possible extent.

vi. The project proponent shall make efforts to minimize water consumption in the plant by segregation of used water, practicing cascade use and by recycling treated water.

IV. Noise Monitoring and Prevention

i. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur as a part of six-monthly compliance report.

ii. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 viz. 75 dB (A) during day time and 70 dB (A) during night time.

V. Energy Conservation Measures

i. Ensure installation of regenerative type burners on all reheating furnace(s). No additional reheating furnace(s) shall be installed.

ii. Provide solar power generation on roof tops of buildings, for solar light system for all common areas, street lights, parking around project area and maintain the same regularly.

iii. The project proponent shall ensure use of LED lights in their offices and residential areas.

VI. Waste Management

i. The project proponent shall take effective steps for safe disposal of solid wastes and sludge. Mill scale & Scrap shall be sold to steel industry units. Oily sludge shall be sold to authorized recyclers / re-processors for proper disposal through incineration. Cinder /fly ash shall be used in road making and land filling. ETP sludge sent to cement industry.

ii. Used refractories shall be recycled as far as possible.

iii. The waste oil, grease and other hazardous waste shall be disposed of as per the Hazardous & Other Waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016.

iv. The project proponent shall utilize fly ash bricks / blocks etc. in all construction activities.

v. Kitchen waste (if any) shall be composted or converted to biogas for further use.

VII. Green Belt

i. Green belt shall be developed in an area not less than 40.7% (0.453 Ha) of the total plant area with a native tree species in accordance with CPCB guidelines. Greenbelt shall inter alia cover the periphery of the plant. As far as possible maximum area of open spaces shall be utilized for plantation purposes. Project proponent shall ensure that remaining 702 Nos plantation will be done within 1 month.

ii. The project proponent shall prepare GHG emissions inventory for the plant and shall submit the programme for reduction of the same including carbon sequestration including plantation.

VIII. Human health issues

i. Emergency preparedness plan based on the Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.

ii. The project proponent shall carry out heat stress analysis for the workmen who work in high temperature work zone and provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of Factory Act.

iii. Provision shall be made for the housing of construction labourwithin the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, creche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.

iv. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.

IX. **Corporate Environment Responsibility**

i. The project proponent shall undertake the following Corporate Environment Responsibility under environment management plan as per proposal submitted within 06 months -

Additional Capital Investment (in Lakh Rupees)	**Percentage of Capital Investment to be Spent**	**Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)**	**Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)**	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
600	1%	6.0	Following activities at 3 Nearby Government School, **Village-Limtara, Pirda & Chilkhadi-2**	
			Rain Water Harvesting System	3.63
			Potable Drinking Water Facility With AMC	1.20
			Running Water Facility	1.05
			Plantation with Fencing	0.75
			Total	6.63

ii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.

iii. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of Senior Executive, who will directly to the head of the organization.

iv. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur / SEIAA, Chhattisgarh along with the Six Monthly Compliance Report.

v. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

vi. All the recommendations made in the Charter on Corporate Responsibility for Environment Protection (CREP) for the plants (if any) shall be implemented.

X. **Miscellaneous**

i. No additional land shall be acquired for this project.

ii. Local persons shall be given employment during development and operation of the plant.

iii. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.

iv. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of Local Bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.

v. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.

vi. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely; PM_{10}, SO_2, NO_x (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters (if any), indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.

vii. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.

viii. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company. The project proponent shall inform the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur as well as SEIAA, Chhattisgarh the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.

ix. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) and the State Government.

x. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA / EMP report and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee.

xi. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh.

xii. Concealing factual data or submission of false / fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

xiii. SEIAA, Chhattisgarh may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory.

xiv. SEIAA, Chhattisgarh reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.

xv. The Integrated Regional Office Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information / monitoring reports.

xvi. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

xvii. Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

xviii. Environment clearance will be valid as per the provision of EIA Notification, 2006 (as Amended).

Member Secretary, SEAC **Chairman, SEAC**